Date: 15.2.2021	**Publication:** Dainik Bhaskar
Page no.: 7 | 9 | 10	**Edition:** Chandigarh | New Delhi | Jaipur
Headline: How to file a claim under home insurance policy	

इंश्योरेंस क्लेम गाइड | तरीका सही हो तो 10 दिन में मिलेगा होम इंश्योरेंस क्लेम

टीए रामलिंगम
चीफ टेक्निकल ऑफिसर, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस

होम इंश्योरेंस प्राकृतिक आपदा और चोरी जैसे कारणों से घर के ढांचे और समान के नुकसान को कवर करता है। आज की तारीख में हाउसहोल्डर्स पॉलिसी, ऑल रिस्क होम इंश्योरेंस पॉलिसी आदि जैसे कई तरह के होम इंश्योरेंस उपलब्ध हैं। क्लेम का सही तरीका बता रहे हैं एक्सपर्ट:

1 | अधिकांश इंश्योरेंस कंपनियों ने क्लेम पास करने की प्रक्रिया डिजिटल कर दी है, इसलिए पॉलिसी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी हमेशा अपने पास रखें। नुकसान होने पर सबसे पहले बीमा कंपनी को सूचित करना होगा। बीमा कंपनी से पता करें कि क्या वे क्षतिग्रस्त सामान के लिए कैशलेस रिपेयर सर्विस का इंतजाम कर सकते हैं?

2 | क्लेम फॉर्म सही तरीके से भरें। यदि आपकी बीमा कंपनी के पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो क्लेम नोटिफिकेशन से लेकर जरूरी दस्तावेज तक, सभी चीजें डिजिटली अपलोड की जा सकती हैं। चोरी-सेंधमारी का मामला हो तो घटना के बारे में स्टेटमेंट, एफआईआर की कॉपी और फाइनल पुलिस रिपोर्ट भी अपलोड करें।

3 | यदि नुकसान 1 लाख रुपए से ऊपर का है, तो बीमा कंपनी नुकसान के सत्यापन और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र सर्वेयर भेज सकती है। उसे सभी नुकसान दिखाएं और खोए/क्षतिग्रस्त चीजों की लिस्ट और बिल आदि दे दें। जब आप सर्वेयर को सभी आवश्यक जानकारियां दे देते हैं, तो वह बीमा कंपनी को फाइनल रिपोर्ट भेजेगा।

4 | आमतौर पर 1 लाख रुपए तक के छोटे-मोटे दावे निपटाने में 5-7 दिन लगते हैं। इससे ऊपर के क्लेम्स मिलने में 10 दिन तक लगते हैं। पॉलिसीधारक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह नुकसान कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए। मसलन, बाढ़ का पानी घर में घुसने पर जितना संभव हो सके कीमती समान को पानी से बचाए।